अतिमहत्वपूर्ण/ई–मेल द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"वर्कचार्ज वर्ग"
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN,UTTARAKHAND
Phone & Fax:- 0135-2530487, 2530451
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांक:– 2867 /23का0प्र0–अधि0/20 दिनांक:– 15 .06.2020

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय /रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0,
लोक निर्माण विभाग, ————।

विषय:– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या–437/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दि0–02.09.2019 के अनुपालन में वर्क चार्ज की सेवा को क्वालीफाई सेवा मानते हुए पेंशनरी लाभ दिये जाने के संबंध में बैठक आहूत किये जाने हेतु।

उपरोक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"In view of reading down Rule 3(8) of the U.P. Retirement Benefits Rules, 1961, we hold that services rendered in the work-charged establishment shall be treated as qualifying service under the aforesaid rule for grant of pension. The arrears of pension shall be confined to three years only before the date of the order. Let the admissible benefits be paid accordingly within three months. Resultantly, the appeals filed by the employees are allowed and filed by the State are dismissed".

2– उक्त आदेश के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के द्वारा दोनों विभागों में कार्यरत/सेवारत कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुये पेंशन आदि का लाभ उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं समय समय पर जारी संगत शासनादेशों/नियमों के प्राविधानानुसार अनुमन्य किये के निर्देश जारी किये गये है तथा दोनों विभागों की संकलित सूचना के आधार पर मा. उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य के द्वारा वर्कचाजट कर्मचारियों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में होने वाले अद्यतन स्थिति रखे जाने एवं मा0 उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु सिविल अपील संख्या–6883/2019 उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रमेश सिंह दाखिल करते हुये अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

3– मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से इस आशय से शपथ–पत्र दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 2768 कार्मिक सेवानिवृत्त हुये है। इन सेवानिवृत्त कार्मिकों में से दिनांक–01.04.2020 से 01.07.2020 तक 480 कार्मिकों को पेंशन प्रदान कर दी जायेगी। दिनांक–01.07.2020 से दिनांक–01.10.2020 के मध्य 788 कार्मिकों को तथा दिनांक–01.10.2020से दिनांक–31.03.2021 तक 1500 कार्मिकों को बजट प्राविधान के सापेक्ष एवं जैसे–जैसे कार्मिकों के सेवा अभिलेख उपलब्ध होंगे, पेंशन स्वीकृत कर ली जायेगी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उक्त प्रतिशपथ–पत्र के आधार पर सिविल अपील का निस्तारण उक्त समय–सीमा के भीतर किये जाने के निर्देश निम्नानुसार पारित किये गये है:–

"In view of the large number of persons involved and verification required as set olut in the application, in the peculiar facts of the case, we are inclined to give time for compliance as per schedule given in Annexure P-4.

The application accordingly stands diposed of"

शासन के पत्रांक–777/III(1)/20–04(54)सि0या0/15 दिनांक–10.06.2020 के द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकरण पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है:–

(क) लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग में सेवानिवृत्त हुये कार्मिकों/उनके विधिक वारिसानों को अवगत कराये जाने हेतु समाचार–पात्रों में इस आशय से विज्ञप्ति विभागाध्यक्ष के माध्यम से पुनः तत्काल जारी की जाय कि जो कार्मिक वर्कचार्ज में रहे है वे अपने अभिलेखों के साथ सम्बन्धित खण्ड जहां से वे सेवानिवृत्त हुये अथवा कार्यरत है, को प्रस्तुत करेंगें। तदोपरान्त सम्बन्धित खण्ड का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्त अभिलेखों/आवेदनों का सत्यापन करते हुये तत्काल इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा का लाभ पेंशन में अनुमन्य किये जाने हेतु कार्यवाही करेंगें।

क्रमशःपेज–2 पर

(ख) लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह खण्ड स्तर पर सूचनाओं को संकलित करते हुये प्रत्येक सोमवार को अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचनाओं की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

(ग) शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आये है कि ऐसे सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारी जो जिस खण्ड से सेवानिवृत्त हुये है उससे पूर्व खण्डों में की गयी सेवाओं का विवरण पूर्ववर्ती खण्डों के द्वारा नही दिया जा रहा है, ऐसे खण्डों को प्राप्त होने वाले आवेदनों पर सम्बन्धित खण्ड द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती खण्डों को जहां कर्मचारी पूर्व से सेवारत रहा है तत्काल अपने स्तर से पत्र व्यहार करते हुये उसकी सूचना प्राप्त करते हुये पेंशन आदि के प्रपत्र तैयार करेगा। यदि पूर्ववर्ती खण्डों के द्वारा अभिलेख/सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे खण्डों के अधिकारियों को चिन्हित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्कचार्ज कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र एवं पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृत किये जाने की युद्वस्तर पर कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि के भीतर आपके द्वारा कार्यवाही सम्पादित नहीं की जाती है, तो इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक–10.06.2020 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्कचार्ज कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र एवं पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृत किये जाने की युद्वस्तर पर कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करेगें। जिसके अनुसार सर्वप्रथम दिनांक–30.06.2020 तक ऐसे कार्मिकों को पेंशनरी लाभ प्रदान कर दिये जाये। जिनके द्वारा विभिन्न मा0 न्यायालयों में उक्त संबंध में वाद योजित किये गये। यदि निर्धारित तिथि के भीतर सम्बनिधत कार्यालयों द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है, तो इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं /अधिशासी अभियन्ताओं का होगा। प्रकरण पर शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुये आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नः– पत्रानुसार।

15/6/2020

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
3. अपर सचिव ,लो0नि0 अनुभाग–1 उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर–1/2 मुख्यालय/अधिष्ठान/गुणवत्ता नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,लो0नि0वि0, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक–10.04.2020 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में शासन द्वारा तय की गयी समय सीमा के अनुसार उक्त कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं की ससमय जांच कर सम्बन्धित कार्यालयों को वापस करना सुनिश्चित करें, ताकि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पेंशन प्रकरणों का निस्तारण हो सके।
   संलग्नः– पत्रानुसार।
7. प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित उक्त कर्मचारियों की सूचना इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'क8 एवं 'ख' में अंकित कर इस कार्यालय को प्रत्येक बृहस्पतिवार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (संलग्नक–प्रारूप क, ख, ग)
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता ———————— वृत्त, लो0नि0वि0,———————— को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासकीय निर्देशों का पालन करते हुए इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप क एवं ख की सूचना अध्यावधिक कर प्रत्येक सप्ताह के बुधवार व शनिवार को इस कार्यालय को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रारूप 'ग' पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें।

क्रमशःपेज–3 पर

9. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधि०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,लो०नि०वि०, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता (अधि०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,लो०नि०वि०, देहरादून।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रा० / नि० / अ० / वि०–यॉ० / रा०मा० / पी०एम०जी०एस०वाई० / ए०डी०बी० / वर्ल्ड बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, ---------- को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्कचार्ज कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र एवं पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृत किये जाने की युद्धस्तर पर कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें।यदि निर्धारित तिथि के भीतर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
14. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
15. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी .....।
14. आई०टी० सेल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,लो०नि०वि०, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट में अपलोड करते हुये सम्बन्धित कार्यालयों को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

15/6/20

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या– 777/III(1)/20–04(54)रि0या0/15

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक 10 जून, 2020

विषय : लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मलित करते हुये पेन्शन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–4371/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत हैः–

"In view of reading down Rule 3 (8) of the U.P. Retirement Benefits Rules, 1961, we hold that services rendered in the work-charged establishment shall be treated as qualifying service under the aforesaid rule for grant of pension. The arrears of pension shall be confined to three years only before the date of the order. Let the admissible benefits be paid accordingly within three months. Resultantly, the appeals filed by the employees are allowed and filed by the State are dismissed".

2– उक्त आदेश के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के द्वारा दोनों विभागों में कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेन्शन आदि का लाभ उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं समय समय पर जारी संगत शासनादेशों/नियमों के प्राविधानानुसार अनुमन्य किये के निर्देश जारी किये गये हैं तथा दोनों विभागों की संकलित सूचना के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य के द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेन्शन का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में होने वाले अद्यतन स्थिति रखे जाने एवं मा0 उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु सिविल अपील संख्या–6883/2019 उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रमेश सिंह दाखिल करते हुये अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

3– मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 2768 कार्मिक सेवानिवृत्त हुये हैं। इन सेवानिवृत्त कार्मिकों में से दिनांक 01.04.2020 से 01.07.2020 तक 480 कार्मिकों को पेन्शन प्रदान कर दी जायेगी। दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 01.10.2020 के मध्य 788 कार्मिकों को तथा दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 1500 कार्मिकों को बजट प्राविधान के सापेक्ष एवं जैसे–जैसे कार्मिकों के सेवा अभिलेख उपलब्ध होंगे, पेन्शन स्वीकृत कर ली जायेगी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उक्त प्रतिशपथ–पत्र के आधार पर सिविल अपील का निस्तारण उक्त समय–सीमा के भीतर किये जाने के निर्देश निम्नानुसार पारित किये गये हैः–

"In view of the large number of persons involved and verification required as set out in the application, in the peculiar facts of the case, we are inclined to give time for compliance as per schedule given in Annexure P-4.

The application accordingly stands diposed of."

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(क) लोक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग में सेवानिवृत्त हुये कार्मिक/उनके विधिक वारिसानों को अवगत कराये जाने हेतु समाचार–पत्रों में इस आशय की विज्ञप्ति विभागाध्यक्ष के माध्यम से पुनः तत्काल जारी की जाय कि जो कार्मिक वर्कचार्ज में रहे हैं वे अपने अभिलेखों के साथ सम्बन्धित खण्ड जहां से वे सेवानिवृत्त हुये हैं अथवा कार्यरत हैं को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तदोपरान्त सम्बन्धित खण्ड का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्त अभिलेखों/आवेदनों का सत्यापन करते हुये तत्काल इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा का लाभ पेन्शन में अनुमन्य किये जाने हेतु कार्यवाही करेंगे।

(ख) लोक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग के विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह खण्ड स्तर पर सूचनाओं को संकलित करते हुये प्रत्येक सोमवार को अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेन्शन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचनाओं की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ग) शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आये हैं कि ऐसे सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारी जो जिस खण्ड से सेवानिवृत्त हुये हैं उससे पूर्व खण्डों में की गयी सेवाओं का विवरण पूर्ववर्ती खण्डों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ऐसे खण्डों को प्राप्त होने वाले आवेदनों पर सम्बन्धित खण्ड के द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती खण्डों को जहां कर्मचारी पूर्व से सेवारत रहा है तत्काल अपने स्तर से पत्र–व्यवहार करते हुये उसकी सूचना प्राप्त करते हुये पेन्शन आदि के प्रपत्र तैयार करेगा। यदि पूर्ववर्ती खण्डों के द्वारा अभिलेख/सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे खण्डों के अधिकारियों को चिन्हित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर वर्कचार्ज कर्मचारियों के पेन्शन प्रपत्र एवं पुनरीक्षित पेन्शन स्वीकृत किये जाने की युद्ध स्तर पर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि निर्धारित तिथि के भीतर आपके द्वारा कार्यवाही सम्पादित नहीं की जाती है तो इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

कृपया प्रकरण पर शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुये आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– ——— /III(1)/20–04(54)रि0या0/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समय–सीमा के भीतर वर्कचार्ज की सेवा का लाभ पेन्शन में अनुमन्य किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः जैसे–जैसे विभागीय स्तर पर वर्कचार्ज कार्मिकों के पेन्शन का प्रकरण निदेशालय/कोषागार में उपलब्ध होता है उनका युद्ध स्तर पर अपेक्षित निराकरण करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर की गयी कार्यवाही की सूचना समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी हैं। अतः इस प्रकार के प्रकरण पर आप भी अपने स्तर से समस्त कोषाधिकारियों को अपेक्षित आदेश पारित करने का कष्ट करेंगे।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव